PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROADS BRANCH

JIND CIRCLE

The 19th October, 1987

No. 582.--Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, construction a road from Kakrod to Surburah, Tehsil Narwana, District Jind, it is therefore hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 6 of the said Act, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Jind, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Jind & Executive Engineer, Provincial/Construction Division, Narwana.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village& Hadbast	Area in acres	Rectangle/ Killa No
Jind	Narwana	Surburah	0.30	229, 337, 349, 350, 402, 403, 404, 406/1, 406/13, 494, 501, 505, 508, 509, 512, 517, 533, 531, 532, 534, 535

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Jind Circle, P.W.D., B. & R. Branch,
Jind.

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं मार्ग शाखा

जीन्द सर्कल

दिनांक 19 अक्तूबर, 1987

नं० 582.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत: ग्राम काकडौद से सुरवराह सड़क बारे तहसील नरवाना, जिला जींद के लिए अपेक्षित है, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

यह घोषणा, 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए है जिनसे यह सम्बन्धित है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, जींद को एतद्द्वारा उक्त भूमि अभिग्रहण करने का आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे को जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, जींद और कार्यकारी इन्जीनियर, प्रोविन्सल डीविजन, नरवाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	रकबा	क्षेत्रफल एकड़ों में
जींद	नरवाना	सुरवराह	0.30	229, 337, 349, 350, 402, 403, 404, 406/1, 406/13, 494, 501, 505, 508, 509, 512, 517, 533, 531, 532, 534, 535.

(हस्ताक्षर). . .,

अधीक्षक अभियन्ता,

जीन्द वृत, लोक निर्माण विभाग,

भवन एवं मार्ग शाखा, जीन्द।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 6 अक्तूबर, 1987

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/239-87/39695.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० विरेन्दरा ग्राम, ... सिकन्दरपुर, मेहरोली रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री अनारूल हक, पुत्र श्री अबदुल हक, मार्फत श्री श्रद्धानन्द, महा सचिव, गुड़गांव फैक्ट्री वर्करज यूनियन (एटक आफिस), गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी०-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री अनारूल हक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप सचिव हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग।